म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क/मंडी/प्रां/विविध/46/8/पार्ट/आनि 2009/972 भोपाल,दि.07.11.2016

प्रति,

1.	अपर संचालक (वित्त)	– सदस्य
2.	मुख्य अभियंता	– सदस्य
3.	संयुक्त संचालक, नियमन	–सदस्य
4.	संयुक्त संचालक मंडी प्रांगण एवं नवीन मंडी	– सदस्य
5.	संयुक्त संचालक, विधि	– सदस्य
6.	संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय सागर	– सदस्य
7.	कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग सागर	– सदस्य
8.	उप संचालक, प्रांगण मंडी बोर्ड	– सदस्य सचिव
9.	मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति भोपाल	– सदस्य
10.	मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सीहोर	– सदस्य
11.	मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर	– सदस्य
12.	मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति इंदौर	– सदस्य
13.	मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति देवास	– सदस्य
14.	व्यापारी सदस्य, कृषि उपज मंडी समिति भोपाल	– सदस्य

विषय :– कृषि उपज मंडी समिति (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में संशोधन विषयक।

संदर्भ :– कार्यालयीन आदेश क./मंडी/प्रांगण/विविध/46/8/948 दि. 27.10.16

–000–

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में संशोधन विषयक संदर्भित आदेश दिनांक 27/10/16 से समिति का गठन किया गया है।

गठित समिति की बैठक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल के सभाकक्ष में दिनांक 10/11/2016 को समय ....02....... बजे आयोजित की गई है।

अतः म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में संशोधन हेतु एजेण्डा संलग्न है। उक्त एजेण्डे के अतिरिक्त आपके सुझाव एवं मंडी के व्यापारियों एवं मंडी के निर्वाचित प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवंटन नियम, 2009 में संशोधन हेतु यदि कोई प्रस्ताव हो तो बैठक में विचार हेतु लेकर उपस्थित होवे।

संयुक्त संचालक (प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में संशोधन के एजेण्डा बिंदु।

---

1. म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम में संशोधन हेतु शासन स्तर पर प्रकरण प्रकियाधीन है। ध्वज "अ" अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रेषित।

2. केन्द्रीय भण्डार गृह निगम को कृषि उपज मंडी समिति मुरैना के प्रांगण में भूमि लीज पर दी गई थी जिसके नवीनीकरण के संबंध में आवंटन नियम 2009 में कोई प्रावंधान नही होने से प्रकरण शासन को भेजा गया था, प्रकरण की संक्षेपिका ध्वज "ब" पर आवंटन नियम, 2009 में संशोधन हेतु अवलोकनीय/विचारार्थ प्रेषित।

3. म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के अनुपालन हेतु मंडी बोर्ड भोपाल से जारी परिपत्र दि. 15 सितम्बर 2009 से उत्पन्न विसंगति के निदान बाबत् प्रस्ताव, ध्वज "स" पर अवलोकनीय/विचारार्थ प्रेषित।

4. कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित गोदाम अनुज्ञप्तिधारी को किराये पर दिये जाने के संबंध में म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में संशोधन बाबत् टीप ध्वज "द" पर अवलोकनीय/विचारार्थ प्रेषित।

5. म0प्र0शासन,नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दि.20.4.16 को शहरी क्षेत्र में स्थित शासकीय भवन/परिसीमन के लिये पुनर्घन्त्वीकरण नीति 2016 को प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगण में प्रभावशील करने के संबंध में दि. 03.06.16 को प्रबंध संचालक महोदय द्वारा बैठक आयोजित की गई जिसके संबंध में वर्तमान में प्रचलित म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव ध्वज "इ" पर अवलोकनीय/विचारार्थ प्रेषित।

6. अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति शुजालपुर का पत्र दि. 23.09.16 व्यवस्था सुधार हेतु सुझाव के बिंदु कमांक–19 प्रदेश की मंडियों में स्थिति निर्मित संरचनाओं की नीलामी, किरायेदारी के संबंध में पुर्नविचार कर नये नियम स्थापित किया जाना आवश्यक है। विसंगती पूर्ण प्रावधानों के कारण करोडो रूपयों की संपत्ति बेकार हो रही है। मंडी प्रांगणों में स्थित संरचनाओं को गाईड लाईन दरों से मुक्त करवाकर युक्तियुक्त मूल्यांकन करवाकर निर्धारण किया जाना चाहिये, जिसमें निर्मित संरचनायें किराये पर दी जाकर मंडियों की आय में वृद्वि की जा सके। प्रस्ताव ध्वज "ई" पर अवलोकनीय/विचारार्थ प्रेषित।

परिशिष्ट –'अ'

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय

म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 के नियम में संशोधन हेतु

संक्षेपिका

नियमों में नवीन प्रस्तावित प्रावधान निम्नानुसार है : –

संशोधन

1.(एक) नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाय;

"परन्तु मंडी प्रांगण के बाहर की ओर खुलते हुए कृषि उपज से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये संचालित की जाने वाली सेण्ड्रीशाप के आवंटन के लिये मंडी समिति की अनुज्ञप्ति धारण करने की बाध्यता नही होगी।"

(दो) नियम 3 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाय ;

"परन्तु भू–खण्ड या संरचना का आवंटन कृषि तकनीक या कृषि विज्ञान से संबंधित परामर्श केन्द्र या उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के उपयोग हेतु कृषि स्नातक के लिये नियम 3 के उपनियम (2) के परन्तुक के अनुरूप मंडी समिति की अनुज्ञप्ति धारण करने की बाध्यता नहीं होगी।"

(तीन) नियम 3 के उपनियम (6) के पश्चात् परन्तुक को विलोपित कर निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किये जाये ;

"परन्तु कृषि स्नातक को कृषि परामर्श केन्द्र संचालित करने व कृषि आदान के क्रय विक्रय के प्रयोजन के लिये आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड की कीमत, कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से 50 प्रतिशत कम कीमत को, आरक्षित कीमत मानते हुए, निर्धारित की जावेगी"

"परन्तु यह और कि भू–खण्ड/दुकान आवंटन के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, आवंटन नीलाम पद्धति से किया जायेगा";

"परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम/मंडल/मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड/संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् तत्समय कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत/मूल्य पर, उपनियम (7) के परन्तुक के अनुसार, कीमत का निर्धारण कर ही किया जायगा।"

(चार) नियम 3 के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक अन्तः स्थापित किये जाय ;

"परन्तु मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं को भूखण्ड की आरक्षित कीमत/मूल्य का निर्धारण तत्समय कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत/मूल्य पर, निम्नानुसार छूट देकर, कीमत का निर्धारण किया जावेगा :–

मंडी की श्रेणी	आरक्षित कीमत में दी जानेवाली छूट
"क" वर्ग	25 प्रतिशत
"ख" वर्ग	30 प्रतिशत
"ग" वर्ग	35 प्रतिशत
"घ" वर्ग	40 प्रतिशत

तथापि, राज्य सरकार उपर्युक्तानुसार निर्धारित कीमत/मूल्य में आगे और रियायत दे सकेगी।''

''परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष में नीलाम/प्रस्थापनाओं की प्रकिया एक से अधिक बार करने के बाद भी यदि आवंटन की प्रकिया उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाती है, तो मंडी समिति, नियम 7 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण (एक) के अनुसार भूमि की प्राक्कलित कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आवंटन की प्रकिया को अगले वर्ष में पूर्ण कर सकेगी।''

2. नियम 4 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नानुसार नया उपनियम (3) तथा उसके बाद परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाय ;

''(3) कृषि तकनीक से संबंधित परामर्श केन्द्र व कृषि आदान के कय–विकय के कार्यकलाप संचालन करने हेतु कृषि स्नातक को, –

(एक) 'क' वर्ग मंडी में 5,
(दो) 'ख' वर्ग मंडी में 3,
(तीन) 'ग' वर्ग मंडी में 2 तथा
(चार) 'घ' वर्ग मंडी में 1,

भू–खण्ड/दुकान, आवंटन हेतु आरक्षित रखे जायेंगे;

''परन्तु कृषि स्नातक व्यक्ति को, कृषि आदानों जैसे, खाद, बीज तथा कीटनाशक, फफूंदनाशक आदि जैसे रसायनिक उत्पादनों के कय–विकय का व्यवसाय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से वैध अनुज्ञप्ति धारण करने की बाध्यता होगी। साथ ही, भू–खण्ड/दुकान आवंटन के बाद उसे तत्संबंधित विवरण मंडी समिति को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लेखित अनुमति की वैधता समाप्त होने या सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में भूखण्ड/दुकान का आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।''

3. (एक) नियम 7 में, उपनियम(3) में, स्पष्टीकरण के खण्ड(एक) में ''और'' शब्द विलोपित किया जाय ;

(दो) नियम 7 के उपनियम (3) के खण्ड (एक) के बाद निम्नानुसार परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाय ;

''परन्तु राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम/मंडल/मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड/संरचनाओं की, नियम 3 के उपनियम (7) के प्रथम परन्तुक के अनुसार भूमि आबंटन की कार्यवाही की जायेगी। तथापि,राज्य सरकार, रियायती कीमत/मूल्य पर आबंटन के लिये अनुज्ञात करने के लिए सशक्त होगी''।

(तीन) उपनियम (3) में, स्पष्टीकरण में खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नानुसार नया खण्ड (दो) अन्तः स्थापित किया जाय ;

"(चार) कृषि स्नातक के लिये आरक्षित भू–खण्ड/दुकान हेतु "भूमि की आरक्षित कीमत" से अभिप्रेत कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से पचास प्रतिशत कम कीमत पर होगा।"

4. (एक) नियम 10 में, उपनियम (7) में, खण्ड (एक) में, शब्द "में से एक विकल्प" विलोपित किये जाये ;

(दो) उपखण्ड (क) में, अंक व शब्द, "25 प्रतिशत के भीतर" के स्थान पर अंक व शब्द, "75 प्रतिशत से कम नहीं" स्थापित किया जाय; तथा इस उपखण्ड के बाद निम्नानुसार परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाय ;

(तीन) खण्ड (दो) में, शब्द अपसेट कीमत "के 25 प्रतिशत के भीतर हो," के स्थान पर शब्द "से कम है, किन्तु 75 प्रतिशत से कम न हो," स्थापित किये जायें।

5. नियम 20 के बाद इस प्रकार नियम "20–क" अन्तः स्थापित किया जाय ;

"20–क नियमों में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में संबंधित मामलों का निराकरण :–

(1) ऐसे मामलों में, जिनके निराकरण के लिये इन नियमों में अलग से कोई प्रावधान नही हैं उनके निराकरण के लिये मंडी समिति, अपने स्तर पर मामले के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करवाकर विवेचना के साथ अपने विधि सलाहकार से अभिमत प्राप्त करेगी और अपने अभिमत तथा अनुशंसा के साथ प्रकरण, प्रबंध संचालक को प्रेषित करेंगी।

(2) प्रबंध संचालक, मंडी समिति की अनुशंसा के संबंध में प्रकरण की विशिष्टियों का परीक्षण कराकर उसके निराकरण हेतु न्याय निर्णायक की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अपनी ओर से अनुशंसा करेगा

(3) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक प्रकरण में किसी सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश को, न्याय निर्णायक के रूप में नियुक्त करेगी।

(4) न्याय निर्णायक द्वारा सम्बद्ध पक्षों की उपयुक्त सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण किया जायगा। न्याय निर्णायक द्वारा प्रकरण का निराकरण मान्य करने या अमान्य करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा तथा निराकरण अमान्य करने की दशा में राज्य सरकार, विवादित प्रकरण की सुनवाई कर उसके निराकरण के लिये दो विभिन्न न्याय निर्णायकों की नियुक्ति करेगी।

(5) न्याय निर्णायक की नियुक्ति की शर्तें राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेंगी तथा प्रकरण पर न्याय निर्णायक की विधिक फीस तथा अनुषंगिक व्यय, बोर्ड द्वारा वहन किया जायगा।

केन्द्रीय भण्डार गृह निगम को कृषि उपज मंडी समिति मुरैना के प्रांगण में भूमि लीज पर दी गई थी जिसके नवीनीकरण के संबंध में संक्षिप्त टीप/एजेण्डा।

———

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में राज्य भंडार गृह निगम, केन्द्रीय भंडार गृह निगम एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था को भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर तत्समय प्रचलित नियमों के तहत मंडी समिति द्वारा दी गई थी। राज्य भंडार गृह निगम एवं केन्द्रीय भंडार गृह निगम को भूमि 30 वर्ष की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु वर्तमान में प्रचलित नियम (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में लीज नवीनीकरण का प्रावधान न होने के कारण प्रस्ताव मंडी बोर्ड मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 दिनांक 25.05.2009 को म0प्र0राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील है। उक्त नियमों में लीज नवीनीकरण का प्रावधान न होने के कारण म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में संशोधन हेतु म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 40(क) के अंतर्गत निर्देश जारी करने हेतु प्रारूप (हिन्दी/अंग्रेजी) विधि विभाग से परीमार्जन उपरांत माननीय मंत्री, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 04.03.14 को प्रेषित किया गया था।

उक्त संबंध में प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निम्नानुसार पृच्छा की गई थी :–

वर्ष 2009 के पूर्व अनुज्ञप्तियो में अनुज्ञप्ति अनुसार लीज रेंट आदि की राशि विधिवत मंडी बोर्ड सुनिश्चित करें। 2009 के उपरांत अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण की कार्यवाही म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के विधिक प्रावधानों का पालन करते हुये किये जाने के लिये मंडी बोर्ड को अधिकार वेष्ठित है। उपरोक्तानुसार विधि सम्यक कार्यवाही मंडी बोर्ड न्यायसंगत रूप से सुनिश्चित करे। उपरोक्तानुसार निर्देश मंडी बोर्ड को प्रदान किये जाने के संबंध में माननीय मंत्री, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत कार्यवाही हेतु नस्ती मंडी बोर्ड को अंकित की गई है।

उपरोक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के संबंध में उपमहाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया था जिसमें उनके द्वारा धारा 40 (क) (1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के द्वारा आवंटन नियम 2009 में संशोधन नही किया जा सकता है, यद्यपि नियमों के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सिद्वांत एवं प्रकिया का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में भूखंड/भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के सम्यक अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के अनुपालन हेतु मंडी बोर्ड भोपाल से जारी परिपत्र दिनांक 15 सितम्बर 2009 से उत्पन्न विसंगति के निदान बाबत् संक्षिप्त टीप/एजेण्डा।

श्री गोपादास अग्रवाल अध्यक्ष, म0प्र0सकल अनाज दलहन, तिलहन व्यापारी महासंघ समिति इंदौर द्वारा म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में के अनुपालन हेतु मंडी बोर्ड भोपाल से जारी परिपत्र दिनांक 15 सितम्बर 2009 से उत्पन्न विसंगति के निदान हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त आवेदन पर प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति सुस्पष्ट करते हुये एकल नस्ती पर टीप भेजने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

प्रदेश के कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण राज्य भण्डारगृह निगम, केन्द्रीय भंडार गृह निगम एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था को भूमि तीस वर्ष की अवधि के लिये लीज पर तत्समय प्रचलित नियमों के तहत मंडी समिति द्वारा दी गई थी। राज्य भंडारगृह निगम एवं केन्द्रीय भंडार गृह निगम को भूमि तीस वर्ष की लीज अवधि पर दी गई थी जो समाप्त हो गई है, किन्तु वर्तमान में प्रचलित नियम म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में लीज नवीनीकरण का प्रावधान न होने के कारण, प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को म0प्र0कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 40(क) के तहत निर्देश हेतु प्रेषित किया गया था।

उक्त संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया है :–

1– वर्ष 2009 के पूर्व के अनुज्ञप्तियों में अनुज्ञप्ति अनुसार लीज रेंट आदि की राशि विधिवत मंडी बोर्ड सुनिश्चित करें।

2– वर्ष 2009 के उपरांत अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की कार्यवाही म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के विधिक प्रावधानों का पालन करते हुये किये जाने के लिये मंडी बोर्ड को अधिकार वेष्ठित है। उक्तानुसार विधिसम्यक कार्यवाही मंडी बोर्ड न्यायसंगत रूप में उक्तानुसार निर्देश मंडी बोर्ड को प्रदान किये जाने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन माननीय मंत्री, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त कर नस्ती मंडी बोर्ड को अंकित की गई है।

उपरोक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में उपमहाधिक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया था जिसमें उनके द्वारा धारा 40(क) (1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के द्वारा आवंटन नियम 2009 में संशोधन नही किया जा सकता है, यद्यपि नियमों के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सिद्वांत एवं प्रकिया का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जा सकता है।

कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में भूखण्ड/भूमि की लीज नवीनीकरण के संबंध में म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में संशोधन हेतु समग्र रूप से संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित गोदाम अनुज्ञप्तिधारी को किराये पर दिये जाने के संबंध में म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में संशोधन हेतु संक्षिप्त टीप/एजेण्डा।

–000–

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित गोदाम को किराये पर दिये जाने के संबंध में म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.01.15 द्वारा म0प्र0वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, म0प्र0राज्य सहकारी विपणन संघ, अर्द्धशासकीय संस्था यथा निगम/मंडल को गोदाम किराये की राशि रू. 25 प्रतिटन प्रतिमाह निर्धारित की गई है, किन्तु उक्त निर्धारित दर पर संबंधित संस्थाओं द्वारा मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित गोदाम को किराये पर लिये जाने के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त की है जिससे मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित गोदाम रिक्त होने से मंडी समिति को आर्थिक क्षति हो रही है।

वर्तमान में भूखण्ड/संरचना का आवंटन किये जाने का निम्नानुसार प्रावधान है :–

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 3(6) भूमि या संरचना के आवंटन के लिये नीलाम/या मोहर बंद लिफाफे में प्रस्थापना का आमंत्रण पद्वति का अनुसरण किया जाएगा।

"परन्तु राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम/मंडल/मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड/संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत या मूल्य पर किया जायेगा। तथापि, राज्य सरकार रियायत कीमत/मूल्य पर आवंटन के लिये अनुज्ञात करने के लिये सशक्त होगी"।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 3(6) के परंतुक में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :–

"परन्तु राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम/मंडल/मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड/संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत या मूल्य पर किया जायेगा, किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित गोदाम को किराये पर लिये जाने के संबंध में असमर्थता व्यक्त करने पर मंडी के रिक्त गोदाम का आवंटन अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता को प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत या मूल्य पर किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव संशोधन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 3(2) में संशोधन बाबत् संक्षिप्त टीप/एजेण्डा।

म0प्र0शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 20/04/16 को शहरी क्षेत्र में स्थित शासकीय भवन/परिसीमन के लिये पुनर्घन्त्वीकरण नीति 2016 को प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगण में प्रभावशील करने के संबंध में दि. 03/06/16 को प्रबंध संचालक महोदय द्वारा बैठक आयोजित की गई है जिसके संबंध में वर्तमान में प्रचलित म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

अतः म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 3(2) में संशोधन किये जाने के संबंध में उक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रेषित।

व्यवस्था में सुधार हेतु संक्षिप्त टीप/एजेण्डा।

अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति शुजालपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.09.16 से व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव भेजे गये है। सुझाव का बिंदु कमांक–19 "प्रदेश की मंडियों में स्थित निर्मित संरचनाओं की नीलामी, किरायेदारी के संबंध में पुर्नविचार कर नये नियम स्थापित किया जाना आवश्यक है। विसंगती पूर्ण प्रावधानों के कारण करोडों रूपयों की संपत्ति बेकार हो रही है। मंडी प्रांगण में स्थित संरचनाओं को गाईड लाईन दरों से मुक्त करवाकर युक्तियुक्त मूल्यांकन करवाकर निर्धारण किया जाना चाहिए जिसमें निर्मित संरचनायें किराये पर दी जाकर मंडियों की आय में वृद्वि की जा सके।

उक्त प्रस्ताव संशोधन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।